विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 18 नवंबर , 2010 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 43वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की तिरालीसवीं (43वीं) बैठक डॉ. राहुल खुल्लर, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 18 नवंबर, 2010 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 580 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 367 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि एसईजेड में 1,76,148 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 6,20,824 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान, एसईजेड से लगभग 2,20,711 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है जो पिछले वित्त वर्ष के लिए निर्यात की तुलना में लगभग 121.40 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2010-11 की पहली छमाही में निर्यात 1,39,841 करोड़ रुपए के आसपास है जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में निर्यात की तुलना में 55.8 प्रतिशत अधिक है।

मद संख्या 43.1 : एसईजेड में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए यूनिट स्थापित करने की नीति

नोट किया गया कि 16 सितंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में इस नीति के कागजात पर विचार किया गया और रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा उठाए गए मुद्दों के कारण आस्थगित कर दिया गया था। एजेंडा की इस मद को पुन: परिचालित किया गया और रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग से अभी तक कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने अपने पिछले दृष्टिकोण को दोहराया। उनको यह बताया गया कि राजस्व विभाग प्रस्ताव के राजस्व से जुड़े पहलुओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। जहां तक अन्य विभागों द्वारा उठाए गए मुद्दों का संबंध है, राजस्व विभाग उनको संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाएगा। इसके बाद निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव आस्थगित किया जाए और राजस्व विभाग को संशोधित दिशानिर्देशों की प्रति पुन: भेजी जाए ताकि वे अपने इनपुट प्रदान कर सकें।

मद संख्या 43.2 (क) : भुगतान किए गए सेवा कर की वापसी की प्रक्रिया

मद संख्या 43.2 (ख) : एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के संबंध में प्रदान की गई कराधेय सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर से छूट

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि दोनों मुद्दों पर टीआरयू की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा इस समय यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय में प्रस्तुत की जा रही है तथा उपयुक्त स्तर पर क्लियर हो जाने पर आगे की कार्रवाई का उल्लेख किया जा सकता है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने अगली बैठक के लिए प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 43.3 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेंमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक के सभी मामलों पर लागू है।

(i) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मुंद्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, गांधीधाम ने निरीक्षण किया था और रिपोर्ट के अनुसार दो एयरपोर्ट हैं - एक गांधीधाम में और दूसरा भुज में जो मुंद्रा से 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इसलिए एक और एयरपोर्ट की अनुमति प्रदान करने से इन मौजूदा एयरपोर्टों की लाभप्रदता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा एयरपोर्टों से 150 किलोमीटर की परिधि में नए एयरपोर्ट का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा राजस्व विभाग नए एयरपोर्ट के लिए कस्टम सहायता प्रदान करने में समर्थ नहीं हो सकता है।

बताया गया कि अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए है और किसी भी स्थिति में अधिकृत प्रचालनों की मंजूरी प्रदान करने के लिए सह विकासक / विकासक को वापस आना होता है और उस समय राजस्व विभाग द्वारा व्यक्त किए गए सरोकारों पर विचार किया जा सकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 175 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एयरफील्ड पेवमेंट, संचार एवं नेविगेशन सहायता, रिजुअल ऐड, यात्री एवं कार्गो टर्मिनल तथा उपकरण, सहायता सेवा, वेयर हाउसिंग की सुविधाओं और एमआरओ की सुविधाओं सहित एयरपोर्ट तथा संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए एमपीएसईजेडएल के एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मुंद्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को अधिकृत प्रचालनों के लिए प्राधिकार के रूप में अनुमोदन को न लेने तथा अधिकृत प्रचालनों के विनियामक अनुमोदन के अधीन होने की शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

बताया गया कि यह प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है। 16 सितंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में भी इस पर विचार किया गया तथा राजस्व विभाग के अनुरोध पर

आस्थगित कर दिया गया, जिन्हें इस प्रस्ताव पर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करना था। इस संदर्भ में बताया गया कि वाणिज्य विभाग में बैठक भी हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि एसईजेड कार्गो तथा डीटीए कार्गो को अलग करने तथा एसईजेड के संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारियों एवं क्षेत्राधिकारीय सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अलग से दोनों का निर्धारण किए जाने की दृष्टि से प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। तथापि, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि वे अभी तक इस प्रस्ताव पर अपनी स्पष्ट राय निर्धारित नहीं किए हैं। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने अगली बैठक के लिए प्रस्ताव आस्थगित कर दिया।

(iii) ग्राम चंगी, तालुक उरान, जिला रायगड़, महाराष्ट्र में मैसर्स कजारिया इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स चिपलून एफटीडब्ल्यूजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 40.02 हेक्टेयर के संपूर्ण प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स चिपलून एफटीडब्ल्यूजेड प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iv) तालुक खेड एवं शिरूर, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स खेड इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स कल्यानी ग्लोबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने बताया कि सह विकासक करार की भाषा संतोषप्रद नहीं है क्योंकि परियोजना का कार्यान्वयन सह विकासक के ऊपर छोड़ा गया है। अनुमोदन बोर्ड ने महसूस किया कि एजेंसियों के साथ करार करने पर सह विकासक को सुनिश्चित करना होगा कि सह विकासक की संतुष्टि के अनुसार परियोजना कार्यान्वित की गई है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने यह भी बताया कि वर्तमान करार संशोधित करार है जो आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 43.4 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 3 (तीन) विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) आईटी प्लॉट (आईआईएफ/3), एक्शन एरिया 2, न्यू टाउन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 दिसंबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड का अनुरोध

(ii) ग्राम रतनपुर और फिरोज़पुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 6 जनवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड (जीआईएफटीसीएल) का अनुरोध

(iii) ग्राम पेरुर, कोयंबटूर दक्षिण, जिला कोयंबटूर, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 04 दिसंबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स राकिंडो कोवई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 43.5 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 2 (दो) मामलों में से प्रत्येक के संबंध में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) पनवेल, महाराष्ट्र में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का अनुरोध

(ii) आदित्यपुर, झारखंड में आटोमोबाइल्स / आटो कंपोनेंट्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 जून, 2010 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट एथारिटी का अनुरोध

मद संख्या 43.6 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नांदेड़, महाराष्ट्र में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स नांदेड़ एसईजेड लिमिटेड को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त होने की तिथि अर्थात 25 जून, 2011 के बाद एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया।

मद संख्या 43.7 : संस्पर्श में छूट

(i) संस्पर्श तथा अनेक प्रवेश / निकास द्वारों के संबंध में एलओए की शर्तों में ढील देने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

बताया गया कि 16 सितंबर 2010 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था तथा राजस्व विभाग के अनुरोध पर आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि

प्रस्ताव की जांच करने के लिए उनको और समय की आवश्यकता थी। विकास आयुक्त, नवी मुंबई एसईजेड ने बताया कि डीजीईपी, विकासक तथा क्षेत्राधिकारीय सीमा शुल्क प्राधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक हुई तथा चर्चा के आधार पर अंतिम प्रस्ताव तैयार किया गया है। सर्वसम्मति होने के बाद राजस्व विभाग ने मूलत: 3 मुद्दे उठाए हैं - (i) एक एसईजेड के स्थान पर तीन एसईजेड का प्रस्ताव किया गया है अर्थात एक बहु क्षेत्र, एक परिधान तथा एक एफटीडब्ल्यूजेड के लिए तथा इन तीन एसईजेड में से केवल एफटीडब्ल्यूजेड प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के बीच संस्पर्शी है और दो अन्य एसईजेड के संबंध में प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के बीच कोई सन्निकटता नहीं है। (ii) बहु उत्पाद एसईजेड का प्रसंस्करण क्षेत्र कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का मात्र 49.88 प्रतिशत है जबकि 50 प्रतिशत होना चाहिए और (iii) फाटकों की संख्या को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त तथा विकास आयुक्त द्वारा संयुक्त रूप से एसईजेड का निरीक्षण किया गया तथा विचाराधीन प्रस्ताव राजस्व विभाग से समुचित परामर्श के बाद तैयार किया गया है। अब विकासक को यह सुनिश्चित करना है कि प्रसंस्करण क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत हो। जहां तक सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने का संबंध है, ईजीओएम मुद्दे का निस्तारण कर चुका है। तथापि, बोर्ड ने राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के अनुरोध पर प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया, जो अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक से पूर्व अपनी टिप्पणियां भेजेंगे।

मद संख्या 43.8 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) खर्दपाड़ा, नरौली, दादरा एवं नगर हवेली में 12.81 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स ओम्नीबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन आफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली (ओआईडीसी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने खर्दपाड़ा, नरौली, दादरा एवं नगर हवेली में 12.81 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स ओम्नीबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन आफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(ii) प्लॉट नंबर सी-22, फाइव स्टार इंडस्ट्रियल एरिया, शेंद्रा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सौर ऊर्जा सहित गैर परंपरागत ऊर्जा (मूलत: जैव प्रौद्योगिकी) के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का अनुरोध

(iii) प्लॉट नंबर सी-21, फाइव स्टार इंडस्ट्रियल एरिया, शेंद्रा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फार्मास्युटिकल के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का अनुरोध

विकासक द्वारा अनुरोधों को वापस ले लिया गया है।

मद संख्या 43.9 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) बेल्लांडुर अमानी काने, एयरपोर्ट रोड के सामने, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स दिव्यश्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने बेल्लांडुर अमानी काने, एयरपोर्ट रोड के सामने, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स दिव्यश्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, वापस कर दिए हैं।

(ii) ग्राम हिंजेवाड़ी, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स इंडो ग्लोबल इंफोटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम हिंजेवाड़ी, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स इंडो ग्लोबल इंफोटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने कर / ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 43.10 : वरोरा, चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र में 101.47 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विद्युत के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स वर्धा पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि वरोरा, चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र में 101.47 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स वर्धा पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूपीसीएल) द्वारा विद्युत के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 3 सितंबर, 2008 को अधिसूचित किया गया था।

विकासक ने टैरिफ को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण विद्युत क्षेत्र में अनिश्चितता की वजह से एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया था। 9 अप्रैल, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उक्त अनुरोध को अनुमोदन प्रदान किया गया था। तथापि, एसईजेड को अभी तक विमुक्त नहीं किया गया है क्योंकि विकास आयुक्त की रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं हुई है। विकासक ने

बताया है कि एक एसईजेड यूनिट से नई मांग प्राप्त होने और एसईजेड / ईओयू में यूनिटों की आवश्यता के कारण एसईजेड स्टेटस की बहाली के प्रस्ताव को उपयुक्त पाया गया है। तद्नुसार, विकासक ने एसईजेड के विमुक्तीकरण के अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है।

अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से समुचित अध्यवसाय रिपोर्ट के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 43.11 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत प्रचालनों के प्रस्तावों पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान करते समय ये 24 अक्टूबर 2008 को आयोजित ईजीओएम बैठक द्वारा अनुमोदित विकास दिशानिर्देश के अधीन थे जिन्हें 8 दिसंबर 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा नोट किया गया। तद्नुसार, विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिकृत प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

(i) अंकलेश्वर के निकट पनोली, भड़ूच जिला, गुजरात में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जेबी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	ग्राह्य मात्रा (वर्गमीटर में)	पहले अनुमत की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	प्रस्तावित यूनिटों की संख्या	क्षेत्रफल प्रति यूनिट (वर्गमीटर में)	कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	**आवासीय**						
	(क) टाइप 1 - अपार्टमेंट बिल्डिंग		शून्य	32 [प्रत्येक में 16 फ्लैट होंगे (8 फ्लैट 80.805 वर्गमीटर के + 8 फ्लैट 101 वर्गमीटर के]	1454.44	46542.08 (1454.44 x32)	46542.08
	(ख) टाइप 2 - अपार्टमेंट		शून्य	48	695.92	33404.16	33404.16

	बिल्डिंग			[प्रत्येक में 40.495 वर्गमीटर के 16 फ्लैट]		(695.92 x48)	
	कुल	**91200 79946.24**					**79946.24**
	वाणिज्यिक						
2.	(क) सुविधाजनक शॉपिंग + कार्यालय + थिएटर		शून्य	1	3144.24	3144.24	3144.24
	(ख) होटल		शून्य	1	7761.71	7761.71	7761.71
3.	(क) सीमा शुल्क कार्यालय + बैंक + सामूहिक शयनकक्ष सहित जेबी एसईजेड का प्रशासनिक भवन			1	1486.57	1486.57	1486.57
	(ख) शैक्षिक संस्थान / व्यावसायिक प्रशिक्षण / स्कूल			1	3646.15	3646.15	3646.15
	(ग) स्वास्थ्य देखरेख केंद्र / अस्पताल			1	574.04	574.04	574.04
	(घ) ईंधन पंप			1	335.46	335.46	335.46
	(ड.) इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन			1	1189.00	1189.00	1189.00
	(च) केंद्रीय सीवेज शोधन संयंत्र			1	2173.00	2173.00	2173.00
	(छ) सहायक सुविधाओं के साथ ट्रक टर्मिनल 1. थाना 2. फायर स्टेशन 3. जलपान गृह + शौचालय ब्लॉक			1 1 1	600.00 337.50 810.00		600.00 337.50 810.00
	कुल	247000	शून्य			**11151.72**	11151.72

(ii) ग्राम कल्याणगढ़ एवं गनगड, तालुक बावला, जिला अहमदाबाद, गुजरात में फार्मास्युटिकल्स और केमिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स दिशमन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण / गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	ग्राह्य मात्रा (वर्गमीटर में)	पहले अनुमत की गई मात्रा	प्रस्तावित यूनिटों की संख्या	क्षेत्रफल प्रति यूनिट (वर्गमीटर में)	कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा
	प्रसंस्करण क्षेत्र में						
1.	वाष्प उत्पादन संयंत्र और वितरण नेटवर्क		शून्य	1	एनए	एनए	1
	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में						
2.	**आवासीय फ्लैट**						
	(i) ए टाइप फ्लैट		शून्य	48	145	6960	6960
	(ii) बी टाइप फ्लैट		शून्य	48	100	4800	4800
3.	अतिथि गृह		शून्य	1	एनए	1000	1000
4.	2 एवं 3 का योग	212034	शून्य			12760	12760

मद संख्या 43.12 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) अहमदाबाद, गुजरात में अधिसूचित एसईजेड का सेक्टर 'परिधान' से बदलकर 'वस्त्र एवं वस्त्र की वस्तुएं' करने के लिए गुजरात औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम का अनुरोध

(ii) सूरत, गुजरात में अधिसूचित एसईजेड का सेक्टर 'परिधान' से बदलकर 'वस्त्र एवं वस्त्र की वस्तुएं' करने के लिए गुजरात औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अनुबंध 2 श्रेणी के एसईजेड के संबंध में "टेक्सटाइल तथा टेक्सटाइल की वस्तुएं" के साथ "परिधान" की श्रेणी की ब्राड बैंडिंग का प्रावधान करने के लिए

एसईजेड नियमावली को संशोधित किया गया है, जो क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में क्षेत्रफल की निर्धारित आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। तथापि, राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने बताया कि ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने के लिए ईजीओएम के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि वाणिज्य विभाग के लिए ईजीओएम का अभी तक गठन नहीं हुआ है तथा जब ईजीओएम का गठन होगा तब उसके विचारार्थ ऐसे मामलों को रखा जा सकता है। तब तक इन प्रस्तावों को आस्थगित समझा जाए।

(iii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित संबद्ध उद्योगों को शामिल करके "खाद्य प्रसंस्करण" के लिए एसईजेड के सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक का अनुरोध खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए मशीनरी के निर्माण को शामिल करके एसईजेड के सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के लिए है। यह सही रूप में इंजीनियरिंग उद्योग की श्रेणी में आएगा तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए एसईजेड में ब्राड बैंडिंग के प्रयोजनार्थ अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

मद संख्या 43.13 : नासिक, महाराष्ट्र में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड का थर्मल राख से बने ब्रिक एवं ब्लॉक के डीटीए में व्यापार पर निषेध की शर्त हटाने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि परियोजना के लिए पर्यावरण स्वीकृति के अंग के रूप में विकासक इस बात के लिए बाध्य है कि वह ईंट के रूप में उड़न राख का निस्तारण करे। अत: विकासक के लिए विनियम के माध्यम से, न कि वाणिज्यिक प्रस्ताव के रूप में उड़न राख से ईंट का निर्माण करना अनिवार्य है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने डीटीए में थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न उड़न राख से निर्मित ईंट और ब्लाक के व्यापार पर रोक लगाने वाली शर्त से छूट प्रदान की।

मद संख्या 43.14 : श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार तथा आईटी हार्डवेयर के निर्माण और असेंबली के विकास के लिए तथा साफ्टवेयर के विकास, अनुसंधान एवं विकास सेवाएं तथा दूरसंचार में अन्य सेवाओं में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अपोलो हास्पिटल्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर मामले की जांच की जाए।

मद संख्या 43.15 : चारदीवारी के निर्माण के अनुमोदन के लिए अनुरोध

(i) **मैसर्स इंटरनेशनल बायोटेक पार्क लिमिटेड द्वारा हिंजेवाड़ी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कटीले तार की फेंसिंग वाली 1.8 मीटर ऊंची चारदीवारी तथा 2 इंट्री / एग्जिट प्वॉइंट के निर्माण के लिए अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने कटीले तार की फेंसिंग वाली 1.8 मीटर ऊंची चारदीवारी के निर्माण के लिए विकासक के अनुरोध को अनुमोदन प्रदान किया है। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने प्रसंस्करण के लिए केवल एक प्रवेश / निकास बिंदु की मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 43.16 : दालों के प्रसंस्करण के लिए यूनिटें स्थापित करने के लिए अनुरोध

(i) इंदौर एसईजेड में दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स प्रकाश ओवरसीज का अनुरोध

(ii) मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स कोगटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) महाराष्ट्र विमानपत्तन विकास प्राधिकरण (एमएडीसी) द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स डाइट फूड्स इंटरनेशनल का अनुरोध

(iv) प्रसंस्कृत दालों, अनाजों, मसूर आदि के विनिर्माण तथा प्रसंस्कृत दालों, अनाजों, मसूर आदि के व्यापार के लिए कांडला एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स किचन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने दाल प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित करने के उपर्युक्त अनुरोधों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि विदेश व्यापार नीति में निर्यात पर निषेध लागू रहने तक सभी दालों का आयात भारत से बाहर से किया जाएगा तथा डीटीए से कोई प्रापण नहीं किया जाएगा)।

मद संख्या 43.17 : एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सुखी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फाल्टा एसईजेड में यूनिट का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से अर्थात 14 जुलाई, 2010 से 5 साल की अगली अवधि के लिए यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई। तथापि, यह

अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि यूनिट को एसईजेड में प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिटों के लिए अंतिम नीति के परिणाम का पालन करना होगा।

मद संख्या 43.18 : एक एसईजेड से यूनिट को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध

(i) गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इंफोस्पेस लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रह क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए मैसर्स इंटर ग्लोब टेक्नोलॉजी कोटियंट प्राइवेट लिमिटेड, जो नोएडा एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नोएडा एसईजेड से मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपने लोकेशन को परिवर्तित करने के लिए मैसर्स इंटर ग्लोब टेक्नोलॉजी कोटियंट प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 43.19 : चार साल के बाद एक साल की अवधि के लिए मैसर्स उकाल फ्यूल सिस्टम्स लिमिटेड के एलओपी का नवीकरण

अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय की पुष्टि की।

मद संख्या 43.20 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) केवल एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा आवासीय अपार्टमेंट के प्रयोग की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए विकासक के अनुरोध को अस्वीकार करने वाले अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि वर्तमान प्रस्ताव केवल एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा आवासीय अपार्टमेंट के प्रयोग की शर्त से छूट प्रदान करने के लिए है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि एसईजेड का लोकेशन हैदराबाद के उप्पल औद्योगिक क्षेत्र में है। अनुमोदन बोर्ड की यह राय थी कि नीति के रूप में वे अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में एसईजेड के कर्मचारियों से भिन्न अन्य अधिभोक्ताओं के लिए होटल, आवासीय स्पेस के लिए अनुमति प्रदान नहीं कर रहे हैं। चूंकि वर्तमान प्रस्ताव उस पैरामीटर के दायरे में आता है इसलिए अनुमोदन बोर्ड प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने की स्थिति में नहीं होगा।

(ii) आईटी / आईटीईएस एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, आईटी / आईटीईएस एसईजेड के आदेश के खिलाफ मैसर्स मसोर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की अपील

अपीलकर्ता द्वारा अपील को वापस ले लिया गया।

पूरक एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 43.21 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) आईएमटी मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स रोज व्यू प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईएमटी, मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स रोज व्यू प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 43.22 : सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव

(i) पानीपत, हरियाणा में 10.522 के क्षेत्रफल में मैसर्स नताशा हाउसिंग एंड अर्बन डवलपमेंट लिमिटेड द्वारा हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनुमोदन बोर्ड ने पानीपत, हरियाणा में 10.522 के क्षेत्रफल में मैसर्स नताशा हाउसिंग एंड अर्बन डवलपमेंट लिमिटेड द्वारा हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 43.23 : कापरडा, जोधपुर, राजस्थान में "हस्तशिल्प" के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के 131 हेक्टेयर में से 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स मानसरोवर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कापरडा, जोधपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स मानसरोवर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 43.24 : सह विकासक के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेंमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह नीचे उल्लिखित सह विकासकों के सभी मामलों पर लागू है :

(i) मैसर्स कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केईओएनआईसीएस) द्वारा शिमोगा, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स कैंब्रिज बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 6 एकड़ के क्षेत्रफल में आईटी अवसंरचना के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स कैंब्रिज बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) गचिबाउली गांव, सेरींगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स फीनिक्स इंफो सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फीनिक्स हिटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 2 एकड़ 43 सेंट (0.98 हेक्टेयर) के पट्टा क्षेत्र में अनुमत एफएसआई के अंदर आईटी स्पेस के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फीनिक्स हिटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) गचिबाउली गांव, सेरींगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स फिनिक्स इंफो सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फिनिक्स ड्वेलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 2 एकड़ 69 सेंट (1.08 हेक्टेयर) के पट्टा क्षेत्र में अनुमत एफएसआई के अंदर आईटी स्पेस के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फीनिक्स ड्वेलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 43.25 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) मैसूर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद नीचे सारणी में उल्लेख के अनुसार केवल एलएंडटी के कर्मचारियों के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंज़ूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	अनुरोध की गई मात्रा	अनुमोदित मात्रा
1.	प्रशिक्षण केंद्र में लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के आंतरिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र में कर्मचारी	4317.96 वर्गमीटर	4317.96 वर्गमीटर

(ii) प्लाट नंबर II एफ, ब्लाक II - एक्शन एरिया - II, न्यू कोलकाता टाउनशिप, राजरहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंज़ूरी प्रदान करने का निर्णय लिया:

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	ग्राह्य मात्रा	पहले से अनुमोदित मात्रा	अनुरोध की गई मात्रा	अनुमोदित मात्रा
1.	वाणिज्यिक स्थान	15,000 वर्गमीटर	शून्य	29,000 वर्गमीटर	15000 वर्गमीटर

(iii) ग्राम मामिडिपल्ली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा विमानन क्षेत्र के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नीचे सारणी में उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंज़ूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र.	अधिकृत गतिविधि	ग्राह्य	पहले से	अनुरोध की गई मात्रा	अनुमोदित

सं.		मात्रा	अनुमोदित मात्रा	यूनिटों की संख्या	क्षेत्र	मात्रा
1.	फिजिकल हैंगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अभिन्न अंब के रूप में साझे सामग्री हैंडलिंग उपकरण					
	• डॉकेटिंग सिस्टम्स			7 सेट		7 सेट
	• अंडर स्लंग क्रेन			2		2
	• मोनोरेल क्रेन			5	एनए	5
	• जिब क्रेन			3		3
	• अन्य सामग्री हैंडलिंग उपकरण			विभिन्न		विभिन्न
2.	भौतिक अवसंरचना के लिए आवश्यक उपकरण एवं सिस्टम्स • हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर	486 वर्गमीटर	शून्य	एनए	486 वर्गमीटर	486 वर्गमीटर
	• कंप्रेस्ड एयर सिस्टम	150 वर्गमीटर	शून्य		150 वर्गमीटर	150 वर्गमीटर
	• हानिकर सामग्री भवन / सुविधा	144 वर्गमीटर	शून्य		144 वर्गमीटर	144 वर्गमीटर
3.	कॉमन फिजिकल हैंगर इंफ्रास्ट्रक्चर • वर्कशॉप की सुविधा	640 वर्गमीटर	शून्य		640 वर्गमीटर	640 वर्गमीटर
	• सीट बे की सुविधा	1318 वर्गमीटर	शून्य	एनए	1318 वर्गमीटर	1318 वर्गमीटर
	• कॉमन टूल क्रिब की सुविधा	678 वर्गमीटर	शून्य		678 वर्गमीटर	678 वर्गमीटर
	• नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट फेसिलिटी	277 वर्गमीटर	शून्य		277 वर्गमीटर	277 वर्गमीटर

मद संख्या 43.26 : मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में बंधवारी गांव को शामिल करने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के अंग के रूप में बंधवारी गांव को शामिल करने के लिए मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 43.27 : एसईजेड का लोकेशन बदलने तथा सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि गुजरात सरकार ने बहु उत्पाद एसईजेड का लोकेशन परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्तावित एसईजेड का लोकेशन अंजार तालुक, जिला भुज, गुजरात से बदलकर ग्राम तारगडी, तालुक मांडवी, जिला कच्छ, गुजरात करने के लिए मैसर्स इंडियन इनफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

अनुमोदन बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के बाद अर्थात 30 जुलाई, 2010 से एक साल की अवधि के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाई भी।

मद संख्या 43.28 : 65,177 वर्ग फीट के निर्मित क्षेत्र पर सह विकासक के अधिकारों को लौटाने के लिए मैसर्स अदिति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम राचेनहल्ली और नागवारा, हुबली, आउटर रिंग रोड, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 161,054 वर्ग फीट में से 65,177 वर्ग फीट (अर्थात भूतल एवं प्रथम तल) का निर्मित क्षेत्र मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (विकासक) को लौटाने के लिए मैसर्स अदिति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 43.29 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) सन्निकटता की शर्त में ढील देकर राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स डीएलएफ आकृति इंफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड का अनुरोध

समुचित विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7.066 हेक्टेयर की वृद्धि करके मैसर्स डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड के क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 17.396 हेक्टेयर हो जाएगा। यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

(क) विकासक उस क्षेत्र से एसईजेड के औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध करेगा जिससे अतिरिक्त भूमि अलग की जा रही है; और

(ख) विकासक एसईजेड से गुजरने वाली सेक्टर रोड पर ओवरब्रिज / अंडरपास का निर्माण करके सन्निकटता स्थापित करेगा।

(ii) नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स आचविस आईटी एसईजेड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सह विकासकों के मौजूदा क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से प्रचालन के क्षेत्रफल में 3.7763 हेक्टेयर की वृद्धि करने के लिए सह विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे उसके प्रचालन का कुल क्षेत्रफल 5.2038 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि सह विकासक को बढ़ाए गए क्षेत्र पर उन्हीं अवसंरचना सुविधाओं का विकास करना होगा जिसके लिए उसे सह विकासक के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है तथा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अन्य सह विकासकों जिनकी भूमि का समेकन किया जा रहा है, के विधिक करारों को भी कानूनी तौर पर समुचित रूप से तैयार किया जाए।

मद संख्या 43.30 : "टेक्सटाइल उत्पाद, असेसरीज तथा हस्तशिल्प की सभी मद" को शामिल करके "हस्तशिल्प" के लिए एसईजेड के सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स महिंद्रस वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद विकासक से हस्तशिल्प से संबंधित मदों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने का अनुरोध किया गया जिसके बाद अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है।

मद संख्या 43.31 : संस्पर्श में छूट

(i) सन्निकटता में छूट के लिए मैसर्स वेलग्रो बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त, एनएसईजेड को भूमि का निरीक्षण करने तथा अगली बैठक से पूर्व अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

(ii) एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सन्निकटता की शर्त में ढील देने के लिए मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड, झर्सुगुडा, उड़ीसा का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त, एफएसईजेड को प्रस्तावित रेलवे ट्रैक के एलाइनमेंट का निरीक्षण करने तथा अगली बैठक से पूर्व अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

(iii) गुड़गांव, हरियाणा में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की सन्निकटता की शर्त में ढील देने के लिए मैसर्स रहेजा हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त, एनएसईजेड को भूमि का निरीक्षण करने तथा अगली बैठक से पूर्व अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

मद संख्या 43.32 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 3 (तीन) विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) केराला भायला और चियाडा गांव, बावला तालुक, अहमदाबाद जिला, गुजरात में इंजीनियरिंग उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 अप्रैल, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स दिशमन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

(ii) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 नवंबर, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) ग्राम घाटा, बेहरामपुर एवं बलोला, जिला गुड़गांव, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 43.33 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 8 (आठ) मामलों में से प्रत्येक के संबंध में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने का निर्णय लिया : अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि गोवा में

एसईजेड के संबंध में वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की जा रही है परंतु सभी एसईजेड मुंबई उच्च न्यायालय में लंबित मामलों में फैसले के अधीन हैं।

(i) अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 नवंबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) नवाल्लूर गांव, चेंगुलपेट तालुक और सेम्मेंचेरी गांव, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स प्लेटिनम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) दिघी पोर्ट, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में एफटीडब्ल्यूजेड सहित पोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अक्टूबर 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स बालाजी इनफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

(iv) छरोडी और ट्रागड गांव, दसक्रोई तालुक, अहमदाबाद जिला, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 19 दिसंबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

(v) ग्राम चंगी, तालुक उरान, जिला रायगड़, महाराष्ट में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्ल्यूजेड) स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स करंजा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vi) नंबर 51, शोलिंगानल्लूर गांव, पुराना महाबलिपुरम रोड, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स हासिंडा इंफोटेक एंड रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vii) सैंकोयले, गोवा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स पेनिंसुला फार्मा रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(viii) झुंड सराय वीरन और भंगरोला पटौदी रोड, गुड़गांव, हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 नवंबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स सनसिटी हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 43.34 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स विक्रम लाजिस्टिक एंड मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद अर्थात 15 अक्टूबर, 2010 के बाद एक साल की अवधि के लिए दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया।

मद संख्या 43.35 : सह विकासकों की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) द्रोणगिरी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए बहु उत्पाद एसईजेड में 12 दिसंबर, 2010 के बाद उनके मंजूरी पत्र (एलओए) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सह विकासकों के अनुरोध :

(क) मैसर्स अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
(ख) मैसर्स अर्बन वाटर सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड
(ग) मैसर्स अर्बन एनर्जी जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड
(घ) मैसर्स अर्बन इंफोटेक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
(ड.) मैसर्स अर्बन कम्युनिकेशन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
(च) मैसर्स अर्बन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
(छ) मैसर्स अर्बन एनर्जी ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से अर्थात 13 दिसंबर 2010 से एक साल की अगली अवधि के लिए उपर्युक्त 7 सह विकासकों की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 43.36 : एल्प्राजोलम टैबलेट के विनिर्माण के लिए एपीआई अर्थात एल्प्राजोलम जो आईटीसी (एचएसएन) संख्या 2933: 9100 में प्रतिबंधित उत्पाद है, के आयात के लिए मैसर्स अरबिंदो फार्मा लिमिटेड का अनुरोध

यूनिट द्वारा अनुरोध वापस ले लिया गया।

मद संख्या 43.37 : तीसरे पक्ष (भारतीय एवं विदेशी) के विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित डिफेक्टिव गियर बॉक्स यूनिटों की मरम्मत / रिकंडीशनिंग आदि करने के लिए मैसर्स हैंसेन ड्राइव्स लिमिटेड का अनुरोध

समुचित विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा सुझाव दिया कि मुद्दे को अच्छी तरह समझने के लिए यूनिट और जानकारी प्रदान करे जिसमें विभिन्न स्रोतों से

गियर बॉक्स की संभावित मात्रा, जिनकी मरम्मत / सर्विसिंग की जाएगी, सेवाओं के लिए भुगतान की कार्यविधि तथा डीटीए से आने वाले गियर बॉक्स के संबंध में ड्यूटी के भुगतान से संबंधित मुद्दे शामिल हो सकते हैं।

मद संख्या 43.38 : अतिरिक्त फाटकों के लिए अनुरोध

(i) ओडीजी कार्गो के लिए केएएसईजेड के अतिरिक्त प्रवेश / निकास द्वार के अनुमोदन के लिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ओडीसी कार्गो के लिए केएएसईजेड में एक अतिरिक्त प्रवेश / निकास द्वार के लिए कांडला एसईजेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(ii) मैसर्स फ्मेलिंगो इंफ्रा डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो क्रुशनूर, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र में फार्मास्युटिकल्स के लिए महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एमआईडीसी) द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अनुमोदित यूनिट है, का अलग प्रवेश / निकास द्वार के अनुमोदन के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक अपेक्षित अवसंरचना प्रदान करने में समर्थ नहीं हुआ है। तथापि, अनुमोदन बोर्ड फाटक लगाने के लिए व्यक्तिगत यूनिटों को अनुमति प्रदान नहीं कर सकता है। तदनुसार, यूनिट को फाटक लगाने के लिए विकासक के साथ व्यवस्था करनी होगी जिसके बाद विकास आयुक्त, एसईजेड उसे एसईजेड में किसी उपयुक्त स्थान पर लगाने पर विचार कर सकते हैं।

मद संख्या 43.39 : एसईजेड में क्रियाशील टूटे-फूटे / प्रयुक्त वस्त्र यूनिटों के संबंध में एलओपी के नवीकरण / विस्तार के लिए कांडला एसईजेड, गांधीधाम, गुजरात का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि तक 5 साल की अगली अवधि के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अधीन 16 यूनिटों (एजेंडा के अनुबंध 10 में सूचीबद्ध) के एलओपी की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया।

मद संख्या 43.40 : अधिकृत प्रचालन "कर्मचारियों के लिए आवास" में ढील देने के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने केवल एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा प्रयोग की शर्त में ढील देने के लिए विकासक के अनुरोध अस्वीकार कर दिया।

मद संख्या 43.41 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स पोलीकेम एढेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड, जो सूरत एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

(ii) यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरूद्ध मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच जो एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुंबई की यूनिट है, की अपील

(iii) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स आकार इंपेक्स, जो सूरत एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

(iv) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स मरवाल इंडिया, जो सूरत एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त 4 अपीलों को आस्थगित कर दिया गया है तथा अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में उन पर विचार किया जाएगा।

मद संख्या 43.42 : किफायती दर पर एसईईपीजेड - एसईजेड में बिजली के स्रोतन एवं वितरण के लिए एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए एसईईपीजेड एक्सपोर्ट्स एनर्जी सेविंग एसोसिएशन का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय की पुष्टि की / नोट किया।

पूरक एजेंडा के परिशिष्ट पर निर्णय

मद संख्या 43.43 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मधुरवाडा, हिल नंबर 3, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स 3 के टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पूर्ण आईटी अवसंरचना के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स 3 के टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

*****